

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

शासकीय महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

(चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल से अनुमति तथा म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त)

Website:- www.mgmmcindore.in

फोन : 0731-2528516, फैक्स: 0731-2514328,

E-mail:- mahsimgm@gmail.com

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र

स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम



निर्देशिका एवं आवेदन पत्र

शैक्षणिक सत्र 2020-21

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI)

के.ई.एच. कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पिटल के पास,

स्कूल ऑफ नर्सिंग भवन, एम.वाय. हॉस्पिटल परिसर, इन्दौर, 452001 (म.प्र.)

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर
सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण तिथियाँ/सूचना

1.	12-10-2020 से 05-11-2020	नियम-निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.mgmmcindore.in पर उपलब्ध होने की तिथि
2.	05-11-2020 सांय 4.00 बजे तक	भरे हुए आवेदन पत्र MAHSI, इन्दौर में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि
3.	07-11-2020 सांय 4.00 बजे तक	विलम्ब शुल्क रु. 200/- के साथ आवेदन पत्र MAHSI, इन्दौर में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि
4.	12-11-2020	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट www.mgmmcindore.in पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
5.	13-11-2019	MAHSI, इन्दौर में अनंतिम मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सांय 4.00 बजे तक
6.	प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग शेड्यूल (आवेदक को योग्यता सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों और फीस के साथ काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है।)	
अ.	18 एवं 19-11-2020 प्रातः 9.00 बजे से	स्नातक कोर्स हेतु काउन्सलिंग
ब.	20 एवं 21-11-2020 प्रातः 9.00 बजे से	डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउन्सलिंग
7.	28-11-2020	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद्/राज्य शासन द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार

नोट : 1.उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन की सूचना वेबसाइट www.mgmmcindore.in पर प्रसारित की जाएगी।

2. पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी के लिए website:- www.mgmmcindore.in

नियमित रूप से अवलोकन करें। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई व्यक्तिगत कॉल लेटर & सूचना जारी नहीं की जाएगी। नियमों/ विनियमों/ सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र (स्ववित्त) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

आवेदन शुल्क :-

आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रूपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रूपये 300/- (आरक्षित वर्ग) कार्यालय में उपस्थित होकर नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT/IMPS द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, इन्दौर के बैंक खाता क्रमांक 53003590208 (आई.एफ.सी. कोड SBIN0030359) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एम.वाय. हॉस्पिटल शाखा, इन्दौर में जमा कर बैंक रसीद की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

बैंक रसीद की प्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।

निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आवेदन शुल्क :-

सामान्य वर्ग हेतु	:रु 500/-
आरक्षित वर्ग हेतु	:रु. 300/-

नोट :-

- आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट www.mgmmcindore.in पर दिनांक 12-10-2020 से 05-11-2020 तक उपलब्ध होंगे एवं दिनांक 05-11-2020 सांय 4.00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र "MAHSI, के.ई.एच. कम्पाउण्ड, टी.बी. हॉस्पिटल के पास, स्कूल ऑफ नर्सिंग भवन, इन्दौर" के पते पर लिफाफे के पर "पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन लिखकर जमा करना होगा।
- निर्धारित तिथि 05-11-2020 को सांय 4.00 बजे के पश्चात दिनांक 07-11-2020 सांय 4.00 बजे तक प्राप्त विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क रु 200/- अतिरिक्त देय होगा एवं 07-11-2020 सांय 4.00 बजे पश्चात प्रस्तुत/प्राप्त आवेदन स्वीकार/विचार क्षेत्र से बाहर होंगे।
- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अंक सूची एवं प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों पर उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर गठित समिति के समक्ष अपना पाठ्यक्रम चयन कर पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश संबंधी दावा समाप्त माना जावेगा।



M.G.M. ALLIED HEALTH SCIENCES INSTITUTE (MAHSI)

M.G.M. MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS, INDORE (M.P.)

(Permitted by Dept. of Medical Education Govt. of M.P., Affiliated to M.P. Medical Science University, Jabalpur & D.A.V.V. Indore)

E-mail : mahsingm@gmail.com, Ph. No. : 0731-2528516, Fax : 0731-2514628

Message



We are all set for admission and to welcome the students of PG, UG, Diploma & Certificate Courses. The health care delivery scene is evolving at a rapid pace in India and globally and to keep abreast with the evolving need, it is our endeavour at MGM Allied Health Science Institute (MAHSI) to inculcate the best clinical and human values in the students, enabling them to stand apart in today's health care world.

The academic ambience, senior professors and researchers of MGM Medical College, M.Y. Hospital & Associated Hospitals provide a great learning experience to our students which make them excel in their respective domain.

To meet the ever increasing need of the students of Indore and various parts of state, a new campus is ready near KEH compound, Madhumilan square, M.Y. Hospital campus. The seats in various courses has also been increased to accommodate more students. A Hostel with requisite amenities for the students is also being built up by the institute at old sehere road, Indore, which will be ready by November, 2020.

For enhancing the exposure of the changing trends globally in the health care, the distinguished international faculty also visit and imparts knowledge to students of our Institute. Our institute will have collaboration with international university. Through this collaboration we will have exchange of faculty, students research.

Wishing a bright future & best wishes.

(Dr. D.K. Taneja)

D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA

Founder Director


**MGM Allied Health Sciences Institute, (MAHSI)
Former Dean, MGM Medical College, Indore**



DR. POOJA SHUKLA,
Registrar, M.P. Paramedical Council,
3rd Floor, Platinum Plaza, Mata Mandir Road,
Bhopal (MP) 462003

MESSAGE

The M.P. Paramedical Council is extremely pleased to learn that MGM Medical College, Indore has leaped ahead in its aspiration for educational and human resource development in the year 2019-20 by commencing various new paramedical courses.



The council acknowledges and appreciates assiduous efforts by the MGM Medical College, Indore and hopes that such quest for development would be continuous and the benefits would be widespread in the state.

The M.P. Paramedical Council sincerely wishes all the management and staff a huge success of the newly introduced courses.

The council will always stand with all progress oriented steps and extends its blessings and support.

Dr. Pooja Shukla
Registrar,

www.mppmc.ac.in

registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com

Phone : 0755-2775768

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

संरक्षक

सलाहकार:

श्री मोहम्मद सुलेमान (IAS)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री संजय कुमार शुक्ला (IAS)

प्रमुख सचिव

चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री निशान्त वरवडे (IAS)

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल

डा.पवन कुमार शर्मा (IAS)

संभागायुक्त, इन्दौर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव (M.S.)

संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल

डॉ. डी.के. तनेजा,

D. Orth, M.S. Ortho, F.A.M.S., F.R.C.S. (Eng.), FIOA

पूर्व अधिष्ठाता

संस्थापक निदेशक

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट इन्दौर

डॉ. संजय दीक्षित

MD, PhD

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

उच्च स्तरीय समन्वय समिति

मुख्य समन्वयक, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	:	डॉ. श्रीमति अनिता मूथा, माईक्रोबायलॉजी विभाग
पाठ्यक्रम सलाहकार	:	डॉ. एस. बी. बंसल, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन
	:	डॉ. अशोक पंचोनिया, प्रोफेसर, पैथलॉजी
	:	डॉ. राहुल रोकडे, सामुदायिक चिकित्सा विभाग
	:	डॉ. रामहरी मीणा, प्राचार्य, MAHSI

: संबधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक :

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर
कैन्सर हास्पिटल	:	डॉ. रमेश आर्य
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	:	डॉ. हेमन्त जैन
मानसिक चिकित्सालय	:	डॉ. रामगुलाम राजदान
मनोरमा राजे क्षय रोग चिकित्सालय	:	डॉ. सलील भार्गव
एम.टी.एच. चिकित्सालय	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर
सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल	:	डॉ. सुमित शुक्ला

: संबधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष :

एनाटॉमी विभाग	:	डॉ. अमीत जुल्का
फिजियोलॉजी विभाग	:	डॉ. रवीन्द्र वाधवानी
बायोकेमेस्ट्री विभाग	:	डॉ. पुर्णिमा डे सरकार
पैथोलॉजी विभाग	:	डॉ. अशोक पंचोनिया
माईक्रोबायलॉजी विभाग	:	डॉ. अनिता मूथा
फार्माकोलॉजी विभाग	:	डॉ. पुजा सोलंकी
नेत्ररोग विभाग	:	डॉ. विजय भाईसारे
सर्जरी विभाग	:	डॉ. अरविन्द घनघोरिया
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	:	डॉ. निलेश दलाल
मेडिसिन विभाग	:	डॉ. वी.पी. पाण्डे
रेडियोडाइग्नोसिस विभाग	:	डॉ अलका अग्रवाल
अस्थिरोग विभाग	:	डॉ दिनेश कुमार सोनकर
नाक कान गला विभाग	:	डॉ आर. के. मुदड़ा
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	:	डॉ. संजय दीक्षित
एनेस्थिसिया विभाग	:	डॉ. के.के. अरोरा
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	:	डॉ. पी.एस. ठाकुर

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड,इन्दौर 452001 (म.प्र.)

प्राध्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

मुख्य समन्वयक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम : डॉ.अनीता मुथा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
--------	------------------	-------	-----------------	-------------------

स्नातक पाठ्यक्रम

1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)	डॉ. स्नेहा जोशी (शिक्षण समन्वयक)	
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)			
3	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोग्राफर	एक्स-रे	डॉ. अलका अग्रवाल	डॉ. सौरभ अतराम

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	पैथोलॉजी	डॉ. अशोक पंचोनिया	डॉ. पंकज शिंदे
5	डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्निशियन	एनेस्थेसिया	डॉ. के.के. अरोरा	डॉ. रश्मि पाल
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्निशियन	माइक्रोबायोलॉजी	डॉ. अनिता मूथा	डॉ. मनीष पुरोहित
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्निशियन	बायोकेमेस्ट्री	डॉ. पूर्णिमा डे सरकार	डॉ. प्रवेश हरगाँवकर
8	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन	मेडिसीन	डॉ. वी.पी. पाण्डे	डॉ. योगेश जामरा
9	डिप्लोमा इन ह्यायूमन न्यूट्रीशन टेक्निशियन	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	डॉ. हेमन्त जैन	डॉ.मंजू विश्वास
10	डिप्लोमा इन आप्थेल्मिक असिस्टेन्ट टेक्निशियन	नेत्र रोग	डॉ विजय भाईसारे	डॉ. नितु कोरी
11	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन टेक्निशियन	ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन	डॉ. अशोक यादव	डॉ. योगेश पावडे
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	रेडियोथेरेपी	डॉ. रमेश आर्य	डॉ. देवेन्द्र चावडा

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

13	सर्टीफिकेट इन ऑपरेशन थैटर टेक्निशियन (ओ.टी.)	सर्जरी	डॉ. अरविन्द घनघोरिया	डॉ. अंकुर माहेश्वरी
14	सर्टीफिकेट इन रेस्पिरट्री टेक्निशियन	टी.बी. चेस्ट	डॉ. सलील भार्गव	डॉ. सुनील मुकाती

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

Course's Description DEGREE COURSES

Bachelor in Physiotherapy:-

Physiotherapists assess, plan and implement rehabilitative programs that improve or restore human motor functions, maximize movement ability, relieve pain syndromes, and treat or prevent physical challenges associated with injuries, diseases and other impairments. They apply a broad range of physical therapies and techniques and implement programmes for screening, prevention and treatment of many physical ailments and disorders.

SCOPE:- Physiotherapy is an essential part of the health and community/welfare services delivery system. Physiotherapists practice independently of other health care/service providers and also within multidisciplinary rehabilitation/habilitation programmes to prevent, gain, maintain or restore optimal function and quality of life in individuals with loss and disorders of movement.

Physiotherapists are guided by their own code of ethical principles. Thus, they may be concerned with any of the following purposes:

1. Promoting the health and well-being of individuals and the general public/society, emphasizing the importance of physical activity and exercise.
2. Preventing impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities in individuals at risk of altered movement behaviors due to health or medically related factors, socio-economic stressors, environmental factors and lifestyle factors.
3. Providing interventions/treatment to restore integrity of body systems essential to movement, maximize function and recuperation, minimize incapacity, and enhance the quality of life, independent living and workability in individuals and groups of individuals with altered movement behaviors resulting from impairments, activity limitations, participatory restrictions and disabilities
4. Modifying environmental, home and work access and barriers to ensure full participation in one's normal and expected societal roles

Physiotherapists may also contribute to the development of local, national and international health policies and public health strategies.

Settings in which physiotherapy is practiced

Physiotherapy is delivered in a variety of settings which allow it to achieve its purpose. Prevention, health promotion, treatment/intervention, habilitation and rehabilitation take place in multiple settings that may include, but are not confined to, the following:

1. Community based rehabilitation programmes
2. Community settings including primary health care centres, individual homes, and field settings
3. Education and research centres
4. Fitness clubs, health clubs, gymnasia and spas
5. Hospices
6. Hospitals
7. Nursing homes
8. Occupational health centres
9. Out-patient clinics
10. Physiotherapist private offices, practices, clinics
11. Prisons
12. Public settings (e.g., shopping malls) for health promotion
13. Rehabilitation centres and residential homes
14. Schools, including pre-schools and special schools
15. Senior citizen centres
16. Sports centres/clubs
17. Workplaces/companies

(Source : Model Curriculum Handbook PHYSIOTHERAPY Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India)

Bachelor in Occupational Therapy

Occupational Therapy is a healthrelated profession that deals with therapeutic management of various neuromuscular, musculoskeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotors impairments, mental retardation or mental illnesses.

SCOPE-

Hospital set up

Rehabilitationscenter

School for disabled children

De-addiction Centers

Psychiatricclinics

Center for mentally retarded

Child development centers

Industrial Medical Facilities

PrivatePractice

Geriatric homes/ Old age Homes

Social services and council departments.

Bachelor of X-Ray Radiodiagnosis and Technician

Radiography is the science of taking images of the internal parts of the human body for the purpose of diagnosing diseases and ailments. This includes the use of X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound etc. X-ray Technicians provides images of various body organs, to understand patient's health status and provide treatment as needed; they are also taught how to use radio waves to treat various tumors and other cancerous ailments.

SCOPE-

Government and Private Hospitals

Diagnostic centers, as well as Super specialty and Multi specialty Hospital

Cancer units in medical colleges and cancer hospitals.

DIPLOMA COURSES

1. Diploma in Medical Laboratory Technician

Medical lab technology is the science that is involved in chemical microscopic immunological bacteriological diagnostic analysis of human fluids like urine, blood, stool, sputum, peritoneal fluid CSF and other specimen.

SCOPE -

Hospital
Clinics
Health centers
Pathology lab
Pharma companies
Blood Bank
Minor emergency centers
Crime laboratories .

2. Diploma in Microbiology Technician

Microbiology is a specialized area of biology that deals with living things ordinarily too small to see without magnification. Microbiology subdivided into divisions including bacteriology, virology, mycology, parasitology and others.

SCOPE

Industry for Microbiology professional work -

Food
Agriculture
Pollution control to Biotechnology
Pharmaceuticals and Health.

3. Diploma in Clinical Biochemistry

The discipline encompasses fundamental and applied research into the biochemical and physiological processes of human and animal life, and application of the resulting knowledge and understanding to the diagnosis, treatment and prevention of disease.

SCOPE-

Patient care and treatment
Practice and study of biochemistry and molecular biology
Haematology
Immunology
Microbiology

4. Diploma in Anesthesia Technician

It is a diploma level course in specialization in anesthesia. Anesthesia technicians are allied health care professionals. An anesthesia technician takes care of anesthesia administering as well as monitoring and care of patients.

SCOPE-

Work in areas of ICU/ICCU

Emergency department

Surgical wards and operation theatre

5. Diploma in Blood Transfusion

Blood bank technicians, usually trained as phlebotomists, work with patients in various settings, collecting and labeling blood to be used in transfusions. It is a joboriented Diploma course.

SCOPE-

Government blood banks

Private blood banks

Government hospitals

Private hospitals,NGOs (Involved in blood banking)

6. Diploma in Ophthalmic Assistant

Ophthalmic Assistant is a person who works with an ophthalmologist .They help ophthalmologist care for patients by taking history ,performing various technical procedures ,tests and preparing patients for various medical and surgical procedures. They provide the ophthalmologist with important information to help diagnose and treat patients.

SCOPE-

Eye Clinical setup

Eye hospital

Medical college

Optical companies

7. Diploma in Dialysis Technician

An allied healthcare professional who operates and maintains dialysis machine for patients with kidney diseases. Kidney dialysis makes the difference between life and death for those who suffer from renal failure. These technicians maintain and operate the equipment used for dialysis, a process that cleanses the blood of metabolic waste products.

SCOPE-

Hospitals

Renal clinics

Medical colleges.

8. Diploma in Human Nutrition Technician

Nutritionist are health professionals who create diet for people. Teaching patients about healthy eating, they also go into research.

SCOPE-

Work as nutrition consultant and advisors

Public health promotion officers

Community developmental officers

Quality and nutrition coordinators

Food technologists

9. Diploma in Radiotherapy Technician

Radiotherapy also called as radiation therapy, is the treatment of cancer & other diseases with ionizing radiation. The radiotherapy technician works under onchologist, and onchosurgeons and they are responsible for providing a dose of radiotherapy as prescribed.

SCOPE –

Hospitals with cancer units

Medical colleges

Research institutes.

CERTIFICATE COURSES

1. Certificate in Respiratory Technician.

A respiratory technician work with doctors and other health care professional to evaluate ,treat and care for patient who have breathing and other cardiopulmonary dysfunction .They also performs diagnostic tests like pulmonary function test ,do limited physical examination, administer breathing treatment ,record patient's progress and consult with physicians and surgeon on continuing care .

SCOPE-

Hospitals,

Chest & allergy clinics

Medical colleges

Sports injury centers

2. Certificate In Operation Theatre Technician.

An O.T. technician helps in pre- operative care of operation theatre like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving, OT technician are also responsible to make the necessary arrangement during the operation also.

SCOPE-

Hospitals

Nursing homes

Corporate hospitals

Medical colleges etc.

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय(स्वशासी संस्था), ए.बी.रोड, इन्दौर 452001 (म.प्र.)

नियम एवं निर्देश

A. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम			
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4½ वर्षीय	100
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थेरेपी (बी.ओ.टी.)	4½ वर्षीय	30
3	बैचलर ऑफ एक्स-रे रेडियोडायग्नोसिस टेक्नशियन	3 वर्षीय	20
डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
1	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्नशियन	2 वर्षीय	25
2	डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नशियन	2 वर्षीय	20
3	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्नशियन	2 वर्षीय	25
4	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्नशियन	2 वर्षीय	10
5	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नशियन	2 वर्षीय	20
6	डिप्लोमा इन ह्यूमन न्यूट्रिशियन	2 वर्षीय	20
7	डिप्लोमा इन आथ्लेटिक असिस्टेन्ट	2 वर्षीय	10
8	डिप्लोमा इन ब्लड ट्रान्सफ्यूजन	2 वर्षीय	25
9	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नशियन	2 वर्षीय	20
सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम			
1	सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नशियन (ओटी)	1 वर्षीय	20
2	सर्टिफिकेट कोर्स इन रेस्पॉरेट्री टेक्नशियन	1 वर्षीय	20
		कुल सीट	365

नोट :- डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की अवधि में 3 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) संस्था से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करना होगा।

MGM Allied Health Sciences Institute (MAHSI), MGM Medical College-Indore (M.P.)
Available Seats Distribution in different Degree/Diploma/Certificate Courses :
2020-21 Session

Subjected to M.P. state Govt./ M.P. Paramedical Council Rules/Orders

B. सीटों का आरक्षण - म.प्र. शासन नियमानुसार पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में आरक्षित श्रेणीयों के आवेदकों हेतु अनुसूचित जनजाति-20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग- 14 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

S.N	Name of Course	Duration	Unreserved					Schedule Caste					Schedule Tribes					OBC					Total
			Open	P H C	M P	F F	I S	Open	P H C	M P	F F	I S	Open	P H C	M P	F F	I S	Open	P H C	M P	F F	I S	
1	बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4½ वर्षीय	47	1	1	1	1	13	1	1	1	-	19	-	-	1	-	12	1	1	-	-	100
2	बैचलर डिग्री इन आक्युपेशनलथेरेपी (बी.ओ.टी.)	4½ वर्षीय	14	-	-	1	-	04	1	-	-	-	5	1	-	-	-	3	-	1	-	-	30
3	बैचलर डिग्री इन एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	3 वर्षीय	9	-	-	1	-	3	-	-	-	-	3	-	1	-	-	3	-	-	-	-	20
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	2 वर्षीय	10	-	-	1	1	3	-	-	-	1	4	-	1	-	-	4	-	-	-	-	25
5	डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्निशियन	2 वर्षीय	8	1	-	-	1	2	-	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	20
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी	2 वर्षीय	10	-	1	-	1	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	-	-	-	25
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री	2 वर्षीय	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
8	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निशियन	2 वर्षीय	8	-	1	-	1	3	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	-	-	-	20
9	डिप्लोमा इन ह्युमन न्यूट्रिशियन	2 वर्षीय	8	1	-	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	-	-	-	20
10	डिप्लोमा इन आथ्लेटिक असिस्टेंट	2 वर्षीय	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	10
11	डिप्लोमा इन बल्ड ट्रान्सफ्यूजन टेक्निशियन	2 वर्षीय	10	-	1	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	-	-	1	25
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	2 वर्षीय	8	-	-	1	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	20
13	सर्टीफिकेट इन ऑपरेशन थैटर टेक्निशियन (ओ.टी.)	1 वर्षीय	8	1	-	-	1	2	-	1	-	-	3	-	-	-	1	2	1	-	-	-	20
14	सर्टीफिकेट इन रेस्पॉरेट्री टेक्निशियन	1 वर्षीय	9	1	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	20
Total Available Seats																						365	

इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़े जा सकते हैं। सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार हैं।

PHC- Physically Handicapped (Divyang), MP- Military Personnel, FF- Freedom Fighter
 IS-In Service Candidate (शासकीय सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित)

(1) सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।

(2) प्रत्येक वर्ग में क्षैतिज रूप से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।

(3) तीन (3%) प्रतिशत सीट स्वतंत्रता सेनानी तथा सैनिक वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

(4) **दिव्यांग प्रवर्ग:-** ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिए उनके सम्बन्धित संवर्ग में 3% सीट नियमानुसार आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

नोट : दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल नीचले अंगों की गतिक विकलांगता में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होंगे 50 से 70 (PH-1) प्रतिशत की विकलांगता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 प्रतिशत से 50 (PH-2) प्रतिशत के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे एवं उन्हें अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टारुन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी:- 1. हाथ की विकलांगता 2. अंधापन 3. बहरापन 4. पैरों की 70% से अधिक विकलांगता

C. प्रवेश हेतु पात्रता

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड / समकक्ष बोर्ड / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा 10 + 2 भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड उत्तीर्ण उम्मीदवार को अन्य छात्रों के समकक्ष माना जाएगा।
2. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
3. डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी उम्मीदवार को 10 + 2 परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (PCB) में सकल न्यूनतम 50% अंक और एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. श्रेणी उम्मीदवार को सकल न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पैटर्न की 12 वी कक्षा / हायर सेकेंडरी परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ अनारक्षित श्रेणी हेतु 40% एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 33% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 4 सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्य होने पर मान्यता प्राप्त व्होकेशनल कोर्स के अंतर्गत यदि संबंधित विषय बायोलॉजी समूह से होने पर (10+2 हायर सेकेंडरी) पात्र हो तो इस विषय में मेरिट के आधार पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार किया जावेगा।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश राज्य मूलनिवासी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता / मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य मूल निवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।
6. **मेडिकल फिटनेस:** – मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
7. **आयु सीमा:** – पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2020 अथवा पूर्व में 17 वर्ष की न्यूनतम उम्र पूर्ण होनी चाहिए, BXRT तकनीशियन डिग्री और रेडियोथेरेपी तकनीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश के दिन 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों प्रवेश हेतु 31 दिसंबर 2020 तक आवेदक की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आरक्षित श्रेणी (एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी.) एवं दिव्यांग आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. **गैप सर्टिफिकेट** – यदि आवेदक ने वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. सभी मार्कसीट्स प्रमाण-पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नाम में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
10. **नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों के पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :-**
 - a) विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों हेतु- शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होंगे।
 - b) पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किया जावेगा एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेगा। (अधिकतम 20 अंक)
 - c) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10% सीट आरक्षित है, उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी (अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक/संचालक/प्रमुख /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला

चिकित्सालय) से निर्धारित प्रपत्र में अनुमति /स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठ्यक्रम उस कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है।

d) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र पृ. क्रमांक 748-51 स्था/अराज/ 2007 दिनांक 05 /11/2007 के अनुसार यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे।

e) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

f) संबंधित कर्मचारी का उक्त परीक्षण के लिए चयन होने एवं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

g) सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।

h) प्रशिक्षण उपरांत उक्त कर्मचारी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती ,पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।

i) प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

j) अनापत्ति प्रमाणपत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिंदु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान कर रहे हैं।

k) सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्य आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लिविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।

l) विभागीय शासकीय कर्मचारियों विश्वविद्यालय/परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत इसी संस्था में अन्य छात्रों की तरह 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय/परिषद की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे तथा परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटरशिप इसी संस्था में पूर्ण करनी होगी।

D. चयन प्रक्रिया

1. पाठ्यक्रमों में चयन योग्यता परीक्षा/उच्च माध्यमिक 10 + 2 या समकक्ष में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी में प्राप्त के प्राप्तांको पर आधारित होगी।

2. योग्यता सूची में समान प्राप्तांको होने पर उम्र में वरिष्ठ को वरीयता दी जाएगी। यदि आवेदको की जन्म तिथि समान है एवं मेरिट लिस्ट में समान प्राप्तांक है तो, वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों के क्रम में अधिक अंक रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. गैप प्रमाण पत्र , यदि कोई हो-यदि आवेदक ने वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों को संस्थान में काउंसलिंग के दौरान जमा किये जायेंगे और पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद (No Dues) बिना बकाया राशि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वापस किये जायेंगे। यदि उम्मीदवार पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पश्चात, बिना पाठ्यक्रम पूर्ण किये पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसे संस्थान को सीट लीविंग बंध (बांड) की राशि का भुगतान करना होगा।

E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया : -

1. निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उपलब्ध सीटों के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा, आवेदक संस्था के नोटिस बोर्ड/चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.mgmmcindore.in पर प्रकाशित किये जाने वाले दिशा निर्देश/सूचना/मेरिट लिस्ट/प्रावीण्य सूची आदि का अवलोकन करते रहे एवं प्रवेश हेतु उक्तानुसार पालन करना सुनिश्चित करे।
3. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण-पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ संस्था MAHSI में नियत समय पर स्वयं उम्मीदवार को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) काउंसलिंग की तिथि को जमा करवाना होगा। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।

4. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज जमा करने होंगे-

1. हायर सेकेण्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 की मूल अंकसूची तथा दो अभिप्रमाणित छायाप्रति.
2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.) मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
3. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दशायी गई हो)
4. मूल निवासी प्रमाण-पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)।
5. यदि लागू हो तो -
सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी जाति प्रमाण-पत्र/अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र/सैनिक का प्रमाण-पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)।
6. आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी - 1 अप्रैल 2020 कि स्थिति में माता/पिता/पालक का सयुक्त आय प्रमाण पत्र/आयकर विभाग में जमा रिटर्न कि प्रति / पे स्लिप
7. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश लेने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

सर्टिफिकेट/मार्कशीट/अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध दस्तावेज। समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में एवं दो सेट छायाप्रतियों में जमा करवाना अनिवार्य है।

नोट:-प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद, होस्टल, प्रयोगशाला, एवं अन्य संबंधित विभागों आदि से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरान्त की लौटाये जावेगे।

5. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-ऑप्शन के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी,

I. एसटी श्रेणी II. एससी श्रेणी III. ओबीसी श्रेणी IV. अनारक्षित श्रेणी

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है -

i- एसटी श्रेणी की खाली सीटों को एससी श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

ii- एससी श्रेणी की खाली सीटों को पात्र एसटी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

iii- अगर एसटी और एससी श्रेणियों में आरक्षण के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

iv- यदि पात्र अभ्यर्थी उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीट को पात्र अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

6. यदि PHC (शारीरिक रूप से विकलांग), MP (सैन्य कर्मी), FF (स्वतंत्रता सेनानी), इन-सर्विस श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी खाली सीट को उस श्रेणी की खुली सीट में बदल दिया जाएगा।

7. एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/प्रतीक्षा सूचि के साथ -साथ अनारक्षित सूचि में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते

7. उम्मीदवार द्वारा काउंसलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदलाव) नहीं किया जावेगा।

8. उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

F. फीस संरचना: –

शुल्क का विवरण सत्र 2020–21

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5-14/18/1/55/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 के की कंडिका 2 के परिपालन में रजिस्ट्रार म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् के पत्र क्र. F-26/कॉलेज-2020-2021/3015/2020 भोपाल दिनांक 16-10-2020 के अनुसार

स्नातक पाठ्यक्रम बी.पी.टी./बी.ओ.टी./बी.एक्स.आर.टी. हेतु शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 61,600
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
कुल योग रुपये		रुपये 69,600

द्वितीय/तृतीय/अंतिम वर्ष के लिये देय शुल्क रु. 64,600 होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 38,530
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
कुल योग रुपये		रुपये 46,530

द्वितीय वर्ष के लिये देय शुल्क रु.41,530/- होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

एकवर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुल्क

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 27,000
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
कुल योग रुपये		रुपये 35,000

एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

नोट: 1. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।

2. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को भी पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।

3. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी होगी।

❖ **पाठ्यक्रम शुल्क-** आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र (क्र./पोमेछा/परिपत्र/2004-05/3726 दि. 20.07.2004 एवं कलेक्टर इंदौर कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/पोमेछा/परिपत्र/परिपत्र/2012-13/3660 इंदौर दिनांक 02.07.2012 के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता/पिता/पालक का सयुक्त आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

शुल्क शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु –

1. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क एक मुश्त नगद/डीडी/बैंकर्स चेक के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसलिंग के दौरान) संस्था MAHSI के बैंक खाते 53003590208 (स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी), भारतीय स्टेट बैंक, एम.वाय.एच. परिसर शाखा के बैंक खाता में जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।

2. **सीट लीविंग बांड :-** डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रम हेतु रु. 225000/-, BXRT पाठ्यक्रम हेतु रु. 150000/- एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु. 50000/- राशि का सीट लीविंग बांड रु.500/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर नोटेरी करवाकर काउंसलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि आवेदक यदि किसी भी कारणवश पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह सीट लीविंग बांड राशि संस्था में जमा करवायेगा।

उक्त सीट लीविंग बांड प्रवेश दिवस से प्रभावी माना जावेगा।

3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व-वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन-सर्विस कैंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।

4. **आरक्षित श्रेणी:-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।

5. छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले / समय-समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में कॉलेज की फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क रु. 20/- प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।

6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर – कानूनी/असामाजिक गतिविधियों, नियमों के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काषित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान करना होगा।

7. छात्रों को समय-समय पर कंप्यूटर, स्टेशनरी, गेम्स, मैगजीन फीस आदि के लिए अन्य शुल्क लगाया जा सकता है।

8. यदि छात्र किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तरीण होने पर पूरकधसप्लीमेंटरी परीक्षा देनी होगी एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। छात्र के अनुत्तरीण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

G. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रिया: –

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/गलत अधूरी जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त सम्बन्ध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. प्रवेश दिवस के 15 दिनों के भीतर विद्यार्थी को सम्बन्धित विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने कि स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3. यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः रद्द माना जाएगा। अनुपस्थिति की इस अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।

4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है/ संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है / कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनाचार करता है/ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है / रैगिंग आदि के लिए उत्तरदायी होता है, संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते है।

5.उम्मीदवार द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण : – यदि आवेदक/विद्यार्थी काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है , तो उक्त सम्वन्ध में निर्धारित सीट लीविंग बांड कि राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जमा करवाए गए शुल्क कि रसीद कि मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय , इंदौर को प्राचार्य, MAHSI के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनुमोदन उपरांत ही सम्वन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्तावेज सम्वन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लोटाये जावेंगे।

H. दस्तावेजों का सत्यापन :-

प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन कि यदि आवश्यकता होती है तो सम्वन्धित जारीकर्ता विभाग ६ अधिकारी को प्रेषित कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा , उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन कि जावेगी।

I.- छात्रावास में रहने की सुविधा: –

छात्रावास की सुविधा केवल लड़कियों के लिए (MAHSI गर्ल्स हॉस्टल में सीटों की उपलब्धता के आधार पर) संस्थान द्वारा तय किए गए शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। वर्तमान में लड़कों के लिए कोई छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था करें।

J. विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :-

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुसाशन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर/मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल/महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वशाषी संस्था-इंदौर/MAHSI द्वारा जारी समस्त नियम-नियमाकुल, पत्र-परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75% एवं प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) कक्षाओं में 80% उपस्थिति अनिवार्य है , इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति की गणना पृथक-पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्वन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्ति हेतु सम्वन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।
4. विद्यार्थियों द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के सम्वन्ध में 'जीरो टॉलरेंस निति ' का पालन करना होगा,उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोपरांत भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो सम्वन्धित विद्यार्थी को संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं सम्वन्धित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।
5. अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5% तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु अनुशंषा की जा सकेगी।
6. समय –समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक , विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्वन्ध में अवलोकन करते रहे।
7. कक्षा,लैब,विभाग एवं संस्था में डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफेद एवं डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा।
- 8.मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ,जबलपुर/मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् ,भोपाल में नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) एवं माइग्रेसन (प्रवजन) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करवानी होगी, उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन नहीं हो सकेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9. फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरपी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम उत्तरीण करने के उपरांत 06 माह की अनिवार्य इंटरनशिप महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करनी होगी, तदोपरांत इंटरनशिप प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही सम्बन्धित विद्यार्थी को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डिग्री प्रदान की जावेगी।

10. BXRT एवं विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 03 महीने की क्लीनिकल पोस्टिंग(क्लीनिकल कार्य) पूर्ण करना अनिवार्य है।

11. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटरनशिप/क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने के उपरांत ही सम्बन्धित को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा डिग्री/ डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किया जावेगा।

12. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।

सूचना: - प्रवेश नियमों और प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, कोई भी किया गया परिवर्तन आवेदक के लिए लागू होगा। सभी प्रकार के न्यायिक मामलो में न्यायिक एवं परिवाद क्षेत्र इंदौर होगा।

K. महत्वपूर्ण तिथियाँ

1	05-11-2020 शाम 4 बजे तक	भरे हुए आवेदन पत्र MAHSI, इन्दौर में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि
2	12-11-2020	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट www.mgmmcindore.in पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
3	13-11-2020	MAHSI, इन्दौर में अनंतिम मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सांय 4.00 बजे तक
4		प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग फीस जमा करने की तिथि
	18 एवं 19-11-2020 प्रातः 9.00 बजे से	स्नातक कोर्स हेतु काउन्सिलिंग
	20 एवं 21-11-2020 प्रातः 9.00 बजे से	डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउन्सिलिंग
5	28-11-2020	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद्/राज्य शासन द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार

काउन्सिलिंग :- काउंसिलिंग उपरोक्त तिथियों पर प्रातः 09.00 बजे से निम्नानुसार क्रम में प्रावीण्य सूची एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश हेतु आयोजित की जावेगी। काउंसिलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा :-

1. सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी श्रेणी (डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों हेतु)
2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जनजाति
4. अन्य पिछड़ा वर्ग
5. अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग की शेष बची हुई सीटों के लिए

नोट: 1. उपरोक्त श्रेणियों में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त सीट की पूर्ति म.प्र. शासन के प्रवेश नियम अनुसार की जावेगी। आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीटों की पूर्ति अनारक्षित वर्ग से की जावेगी।

1. मिलिट्री पर्सन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त सीटों की पूर्ति जिस श्रेणी से उक्त सीटें आवंटित हैं उसी श्रेणी के आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा।
2. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रथम चरण में यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रसारित जावेगी एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी।

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)

महात्मा गान्धी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, (स्वशासी संस्था), इन्दौर (म.प्र.)
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2020-21

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक	आवेदन फीस रूपये	प्राप्त हुई
रसीद क्र.	दिनांक	

आवेदन शुल्क:- आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रूपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रूपये 300/- (आरक्षित वर्ग) कार्यालय में उपस्थित होकर नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT द्वारा संस्था MAHSI के बैंक खाते " स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी " स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया , एम.वाय. हॉस्पिटल शाखा, इन्दौर में बैंक खाता क्रमांक 53003590208 (आई.एफ.सी. कोड SBIN0030359) में जमा कर बैंक रसीद की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन रद्द हो जावेगा।

1. आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में}

2. आवेदक का पूरा नाम {अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में}

3. लिंग: महिला/पुरुष.....-{कृपया अन्य काट दें}

4. पिता/पति का नाम {अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में}

5. पिता/पति का नाम {हिन्दी के अक्षरों में}

6. माता का नाम {हिन्दी के अक्षरों में} {अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में}

7. श्रेणी (Category):- अनारक्षित (UR)/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/स्वतंत्रता सेनानी (Freedom Fighter)/विकलांग (PHC)/सैनिक (Military Personnel). {संबंधित श्रेणी पर ✓ का निशान लगाये}

8. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नम्बर (यदि लागू हो तो)

9. स्थायी पूर्ण पता:

..... दूरभाष नं.....

मोबाइल नं..... ई-मेल

10. जन्म दिनांक..... शब्दों में जन्म दिनांक.....

(आयु दिनांक 31.12.2020) वर्ष माह..... दिन.....

11. जन्म स्थान..... जिला..... राज्य..... राष्ट्रीयता.....

12. उम्मीदवार का आधारकार्ड नं..... समग्र आई.डी.....

13. परिवार की समग्र आई.डी.....

14. म.प्र. का मूल निवासी (है/नहीं)..... अगर नहीं तो राज्य स्थान.....

15. स्थानीय अभिभावक का पूरा नाम एवं पता (बाहरी अभ्यर्थियों के लिये).....

..... दूरभाष मोबाइल नं.....

16. पिता का व्यवसाय..... माता का व्यवसाय..... पति/पत्नी का व्यवसाय..... एवं

परिवार की सम्पूर्ण वार्षिक आय.....

राजपत्रित अधिकारी
द्वारा अभिप्रमाणित
पासपोर्ट आकार का
वर्तमान का फोटो
चिपकाएँ

17. शैक्षणिक योग्यता:-

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हायर सेकेन्डरी 10+2			जीवविज्ञान/बायोटैक्नालॉजी			
			रसायनशास्त्र			
			भौतिकशास्त्र			
			कुल अंक (PCB)			
			कुल प्राप्तांक (समस्त विषय)			

18. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटिनी द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1	आवेदन शुल्क- रसीद की मूल प्रति				
2	कक्षा 10 वीं की अंकसूची				
3	कक्षा 12 वीं की अंकसूची				
4	स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टीसी)				
5	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6	आधार कार्ड				
7	जन्म प्रमाण-पत्र				
8	मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/स्व-घोषित)				
9	समग्र आय.डी.				
10	जाति प्रमाण-पत्र - आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)				
11	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
12	यदि लागू हो तो - दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/ सैनिक का प्रमाणपत्र				
13	गेप सर्टिफिकेट (यदि वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				

नोट: सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- 1.नियमित सेवानियुक्ति आदेश
- 2.कार्यभार ग्रहण करने का पत्र(ज्वॉइनिंग प्रमाण-पत्र)
- 3.नियमितीकरण संबंधि आदेश

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। यदि इसमें कोई जानकारी अपूर्ण एवं गलत पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक..... पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

नोट:- 1. उक्त आवेदन से मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लिया जा सकेगा , भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

2. काउंसलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान समस्त मूल दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की 02 सेट फोटोकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सी.डी.में जमा करवानी होगी।



एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइसेंस इंस्टीट्यूट, (MAHSI)
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था), इन्दौर (म.प्र.)
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2020-21

केवल शासकीय कर्मचारी हेतु वर्ष 2020

1. श्री/श्रीमती.....पद..... नियुक्ति की दिनांक विभाग का नामको पैरामेडिकल द्वि वर्षीय डिप्लोमा/एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सहमति दी जाती है।
2. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

सील एवं मोबाइल नं.

(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक)

नोट:- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।

=====

ADMISSION APPLICATION ACKNOWLEDGMENT - 2020

=====

M.G.M. Allied Health Sciences Institute (MAHSI)

MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS AUTONOMOUS SOCIETY, INDORE

Received admission application Form No.....from (Name of applicant)
.....on (Date).....for admission in Allied Health
Paramedical Degree/Diploma/Certificate Course for session 2020-21 .

Receiver's Signature & Name